न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 51/2013
GCMS NO. : 2013/00165

–: वादीया :– बनाम –: प्रतिवादीगण :–

1. गोरधनराम पुत्र गोपाराम
2. प्रकाश पुत्र हीरालाल जाति माली
निवासी– सेवरिया,तहसील–जैतारण,
जिला– पाली राज0।

1. जिला कलक्टर, पाली।
2. तहसीलदार, जैतारण।
3. पटवारी, पटवार हल्का– कुड़की
तहसील– जैतारण, जिला–पाली।

राजस्व वाद बाबत् तकास्मा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:.15.02.2013**

उपस्थितः–

1. श्री हरिओम पारीक, अधिवक्ता, वादी।
2. तहसीलदार जैतारण, पैरोकार सरकार राज0।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 23/03/2022**

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा ग्राम कोटड़िया पटवार हल्का कुड़की भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र रास तहसील जैतारण जिला पाली में खसरा नम्बर 1मीन रकबा 12–00 बीघा किस्म बारानी देायम आई हुई हैं। जिस पर वादीगण का कब्जा बाप दादो से आज दिन तक चला आ रहा है। वादीगण मौके पर काबिज है। तथा चिरकाल से शांतिपूर्वक बिना किसी रोक टोक के बिना किसी व्यवधान के कृषि कार्य करते है। तथा अपने परिवार की आजीविका उक्त कृषि काश्त से चलाते है। नकल जमाबंदी संवत् 2046 से 2049 की व खसरा गिरदावरी संवत 2046 से 2049 की दावे के साथ पेश है। उक्त कृषि आराजी को इस दावे में मुतदाविया आराजी से संबोधित किया गया है। मुतदाविया आराजी का आवंटन कृषि कार्य हेतू वादीगण के पिता को हुआ था। तब से वादीगण व उसका पिता आज दिन तक मौके पर कब्जा काश्त है। नामान्तरण संख्या 412 दिनांक 07.06.1991 के जरिए गोपा, हीरा, पिता शंकर माली का आवंटन निरस्त होने से खसरा नम्बर 1 मीन रकबा 12 बीघा सिवाय चक दर्ज हु[illegible] न्याया के सिद्धान्तो का गौर उल्लघंन है तथा वादीगण के हितो [illegible] कुठा[illegible] है। बिना किसी सुनवाई का अवसर दिये वादीगण [illegible] करना घोर अन्याय है। उक्त आदेश वादीगण [illegible] राजनैतिक ईर्ष्या वश तानाशाह ढंग से एकपक्षीय दिया गया है जो काबिल म[illegible]ख के है। वादीगण के पिता निरक्षर (अनपढ) थे। उन्हे स्वयं की जमीन का मौके पर भौतिक रूप से कब्जा होने की जानकारी थी। किन्तु उक्त मुतदाविया आराजी का टाईटल कब परिवर्तित हो गया, इसका ज्ञान नही था। वादीगण को दिनांक 21.12.2012

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishno
Date: 2022.06.14 17:45:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला–पाली

को तहसील कार्यालय भू-अभिलेख जैतारण से प्रमाणित प्रतियां खसरा गिरदावरी ग्राम कोटड़िया की प्राप्त करने पर पता चला कि उक्त कृषि आराजी वादीगण के पिताजी के नाम है तथा जमाबंदी संवत् 2046 से 2049 में नामान्तरण 412 दिनांक 07.06.1991 को जरिए गोपा, हीरा पिता शंकर माली का आवंटन निरस्त होने से खसरा नम्बर 1 मीन रकबा 12-00 बीघा सिवाय चक अमल दरामद होने का पता चला तो वादीगण ने अधिवक्ता से सम्पर्क साध कर राजस्थान सरकार के नुमायन्दे श्रीमान जिला कलक्टर पाली को 80(2) सीपीसी का नोटिस देकर उक्त वाद खिलाफ सरकार के पेश किया है। वादीगण मौके पर मुतदाविया आराजी पर काबिज है। नामान्तरण संख्या 412 दिनांक 07.06.1991 वादीगण के हक हकको से खिलाफ नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तो का घोर उल्लंघन है। उक्त जमीन पुनः राजस्थान सरकार के खाते में चढाने से पूर्व अमल दरामद करवाने से पूर्व किसी भी प्रकार की नोटिस व सूचना वादीगण के पिता को नही दी गई। वादीगण उक्त मुतदाविया कृषि आराजी पर काबिज है। जो उनका निरन्तर कब्जा आज दिन तक चला आ रहा है। ऐडवर्स पजेशन के आधार पर भी वादीगण हक प्राप्त करने के अधिकारी है। वादीगण को हक हकको से महरुम नही किया जा सकता है। न्यायहित में वादीगण को उक्त मुतदाविया आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। तथा वादीगण के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण को उनके नौकर,चाकर, हाली एजेण्ट को दखलन्दाजी व दस्दांजी करने से रोका जावे। बिनाय दावा दिनांक 16.01.2013 को ग्राम कोटड़िया पटवार हल्का कुड़की तहसील जैतारण जिला पाली में उत्पन्न हुआ जो अन्दर म्याद पेश है। और श्रीमानजी के क्षैत्राधिकार में व श्रवणाधिकार में है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को को जरिए सम्मन वास्ते जवाब तलब किया गया। सरकारी पैरोकार, तहसीलदार जैतारण ने जवाबदावा मय पटवार हल्का कुडकी की मौका व वस्तुस्थिति रिपोर्ट दिनांक 27.03.2015 व 18.05.2016 पेश कर जाहिर किया कि वादग्रस्त आराजी ग्राम कोटड़िया पटवार हल्का कुड़की के खसरा नम्बर 1 मीन रकबा 12-00 बीघा किस्म बारानी दोयम की भूमि पर गोपा, हीरा पुत्र शंकर के वारिसान् गोरधन, समदंर, तेजा पुत्र गोपा तथा प्रकाश, रामनिवास, तुलछाराम मुरलीराम पुत्र हीरा कौम माली निवासी सेवरिया का शामलाती कब्जा है। उक्त भूमि वर्ष 1986-1987 में गोपा, हीरा पुत्र शंकर कौम माली को गैर खातेदार के रूप में 10 साला काश्त हेतू आवंटन हुई जिसका नामान्तरण संख्या 362 दिनांक 10.10.1987 को स्वीकृत हुआ। सन् 1991 में [illegible] आदेश दिनांक 26.03.1991 द्वारा आवंटन निरस्त होने से नामान्तरण [illegible] 4[illegible] द्वारा उक्त 12-00 बीघा भूमि पुनः सिवाय चक दर्ज [illegible] में पुनः स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित करवा[illegible]या के वर्तमान रेकर्ड में उक्त भूमि सिवाय चक भूमि के रूप में राजस्था[illegible]रकार के नाम दर्ज है। बहस अधिवक्ता वादी व सरकारी पैरोकार की सुनी गई। प्रकरण में अधिवक्ता वादी ने साक्ष्यवादी में वादी प्रकाश का साक्ष्य शपथ पत्र पी.डब्लु1, वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishno
Date: 2022.06.14 17:45:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

गोरधन का साक्ष्य शपथ पत्र पी.डब्लु2 तथा गवाह जगदीश का साक्ष्य शपथ पत्र पी.डब्लु3 पेश किए जो शामिल मिसल किए गए।

हमनें वादपत्र तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। प्रकरण का विवाद्यक/तनकीयात वार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है:-

1. आया वादग्रस्त आराजी मौजा कोटड़िया खसरा नम्बर 1मीन रकबा 12 बीघा कृषि भूमि वादीगण के पिताजी गोपाराम व हिरालाल को गैर खातेदार के रूप में भूमि आवंटित हुई, व मौके पर वर्तमान में वादीगण का कब्जा काश्त है।

जिम्मे वादीगण

यह विवाद्यक साबित करने की जिम्मेदारी वादीगण की है। वादीगण द्वारा वादपत्र में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी कृषि कार्य हेतु वादीगण के पिता को आंवटित हुई थी। परन्तु नामान्तरण संख्या 412 दिनांक 07.06.1991 द्वारा गोपा हिरा पिता शंकर माली का आंवटन निरस्त होने से खसरा संख्या 1 मीन रकबा 12-00 बीघा सिवाय चक दर्ज हुआ, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो का घोर उल्लंघन है। वादग्रस्त आराजी पर वादीगण एवं इससे पूर्व वादीगण के पिता का कब्जा काश्त रहा है। अतः एडवर्स पजेशन के आधार पर भी वादीगण खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादपत्र डिक्री किया जावे।

राज पैरोकार की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मौजा कोटड़िया के खसरा संख्या 1 में से 12-00 बीघा भूमि 1986-1987 में गोपा हीरा पि. शंकर कौम माली को गैर खातेदार के रूप में दससाला काश्त हेतू आंवटित हुई, जिसका नामान्तरण संख्या 362 दिनांक 10.10.1987 को स्वीकृत है। तहसीलदार जैतारण के आदेश दिनांक 26.03.1991 द्वारा आंवटन निरस्त होने से नामान्तरण संख्या 412 द्वारा उक्त आराजी पुनः सिवाय चक दर्ज की गई।

वादीगण द्वारा वादपत्र के समर्थन में मुख्य परीक्षण में वादी प्रकाश पुत्र हीरालाल का साक्ष्य शपथ पत्र पी.डब्लु1 एवं वादी गोरधन राम पुत्र गोपाराम का साक्ष्य शपथ पत्र पी.डब्लु 2 प्रस्तुत किया, शपथ पत्र में साक्षीगण द्वारा वादपत्र में उल्लेखित कथनो एव तथ्यो का समर्थन किया। वादीगण द्वारा वादपत्र के समर्थन में गवाह जगदीश पुत्र पुसाराम जाति मेघवाल निवासी सेवरिया का साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श 1 ग्राम कोटड़िया की जमाबंदी संवत् 2042 से 2045 के अनुसार गोपा,हीरा पि. शंकर कौम माली निवासी सेवरिया वादग्रस्त आराजी में गैर खातेदार दर्ज है। प्रदर्श 2 खसरा परिवर्तन संवत् 2047 वर्ष 1990-1991, प्रदर्श 3 खसरा परिवर्तन संवत् 2058 वर्ष 2001-02 एवं प्रदर्श 4 खसरा परिवर्तन संवत् 2061 वर्ष 2004 एवं प्रदर्श 6 खसरा परिवर्तन संवत् 2060 के अनुसार खसरा संख्या 1 में गोपू पुत्र शंकर द्वारा 10-00 बीघा भूमि पर काश्त किया जाना अंकित है। प्रदर्श 5 ग्राम कोटड़िया की खसरा गिरदवारी संवत् 2046 से 2049 के अनुसार गैर खातेदार गोपा हीरा पि. शंकर द्वारा वादग्रस्त आराजी पर काश्त किया जाना अंकित है। प्रदर्श 7 खसरा परिवर्तन संवत्

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bish
Date: 2022.06.14 17:45:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

2065 में गोरधन पुत्र गोपी माली, प्रदर्श 8 खसरा परिवर्तन संवत् 2066, प्रदर्श 9 खसरा परिवर्तन संवत् 2067, प्रदर्श 10 खसरा परिवर्तन संवत् 2068 एवं प्रदर्श 11 खसरा परिवर्तन संवत् 2069 ग्राम कोटड़िया के अनुसार गीता पत्नी हीरा, गोपी पुत्र शंकर, गोरधन पुत्र गोपी द्वारा काश्त किया जाना अंकित है।

जमाबंदी संवत् 2046 से 2049 ग्राम कोटड़िया के अनुसार वादीगण वादग्रस्त आराजी में गैर खातेदार दर्ज है। इसी जमाबंदी में दर्ज नोट के अनुसार नामान्तरण संख्या 412 दिनांक 07.06.1991 द्वारा आंवटन निरस्त किए जाने से खाता सिवाय चक दर्ज किया गया। ग्राम कोटड़िया की नामान्तरण पंजिका की नामान्तरण संख्या 412 के अनुसार तहसीलदार जैतारण के आदेश क्रमांक/318 दिनांक 26.03.1991 के द्वारा आंवटन खारिज/निरस्त होने से राजस्थान सरकार के नाम दर्ज किया गया एवं कब्जा पुनः प्राप्त किया गया।

अतः उपर्युक्त दस्तावेजी साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि संवत् 2046 से 2049 में गोपा, हीरा पि. शंकर कौम माली का नाम वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख में बतौर गैर खातेदार दर्ज किया गया लेकिन उक्त गैर खातेदारी एवं आवंटन निरस्त होने से नामान्तरण संख्या 412 दिनांक 07.06.1991 द्वारा उक्त भूमि पुनः सिवाय चक दर्ज की गई। अतः ऐसी परिस्थिति में प्रथम तो प्रार्थीगण के पिता क्रमशः गोपा एवं हीरा अभिलिखित खातेदार नही होकर गैर खातेदार थे तथा दोयम उक्त गैर खातेदारी एवं भूमि आवंटन संबंधित अधिकारी द्वारा निरस्त कर दिए जाने से गैर खातेदारान् का नाम भू अभिलेख से विलोपित किया जा चुका है। वर्तमान में वादीगण या इनके पिता में से कोई भी वादग्रस्त आराजी का गैर खातेदार/खातेदार नही है अतः यह विवाद्यक वादीगण के विरूद्ध एवं प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

2. आया वादीगण उक्त आराजी स्वयं के नाम घोषित करवाने के अधिकारी है।

जिम्मे वादीगण

यह विवाद्यक सांबित करने की जिम्मेदारी वादीगण की है। विवाद्यक संख्या 1 के विवेचन एवं निर्णयन से यह स्पष्ट है कि वादीगण को आवंटित भूमि का आवंटन एवं गैर खातेदारी संबंधित अधिकारी द्वारा निरस्त की जा चूकी है। तथा नामान्तरण संख्या 412 दिनांक 07.06.1991 द्वारा वादीगण के पिता का नाम भू अभिलेख से विलोपित किया जा चुका है। उक्त आदेश को न्यायालय हाजा में न तो चुनौती दी जा सकती है एवं न ही न्यायालय हाजा इस संबंध में कोई विचारण अधिकारिता रखता है। साथ ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम [illegible] कि एक विशिष्ट विधि है तथा उक्त अधिनियम में [illegible] आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान किए जाने का कोई [illegible] द्वारा विवाद्यक संख्या 1 में विवेचित दस्तावेजात् के अतिरिक्त कोई अन्य दस्तावेजी साक्ष्य या विधिक प्रावधान प्रस्तुत नही किए है जिससे यह साबित हो [illegible] वादीगण वादग्रस्त आराजी स्वयं के नाम घोषित करवाने का अधिकार किसी कारण से या किस रूप में रखते है। अतः यह विवाद्यक भली भांति साबित नही होने से इसे वादीगण के विरूद्ध एवं प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishn
Date: 2022.06.14 17:45:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

3, आया वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को 80(2) सीपीसी का नोटिस दिये बिना दावा चलने योग्य या संवहनीय नही है। **जिम्मे प्रतिवादीगण**

यह विवाद्यक साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादीगण की है। वादपत्र के पैरा संख्या 7 व वादीगण द्वारा यह अंकित किया गया है कि प्रतिवादीगण सरकारी नुमायन्दे है अतः वादपत्र से पूर्व 80(2) सीपीसी का नोटिस दे दिया गया है। चूंकि वादीगण द्वारा उक्त नोटिस दिये जाने का अंकन किया है लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा ऐसे नोटिस प्राप्त नही होने का कथन किया है। वादीगण द्वारा वादपत्र के साथ उक्त नोटिस की तामिली प्रति प्रस्तुत नही की है। अतः यह नही माना जा सकता कि वादीगण द्वारा धारा 80(2) सीपीसी के विधिक प्रावधानो का अनुपालन किया हो। सीपीसी की धारा 80(2) शासकीय पदाधिकारियो के विरूद्ध वादपत्र प्रस्तुत किए जाने की दशा में पूर्व नोटिस दिया जाना विधिक रूप से बाध्यकारी है। अतः यह विवाद्यक भली भांति साबित होने से प्रतिवादीगण के पक्ष में एवं वादीगण के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

4. आया वादीगण को बिना पूर्व सूचना दिये या सुनवाई का अवसर दिये उक्त वादग्रस्त आराजी का आवंटन निरस्त किया गया। **जिम्मे वादीगण**

यह विवाद्यक साबित करने की जिम्मेदारी वादीगण की है। वादीगण का आवंटन संबंधित सक्षम अधिकारी के द्वारा निरस्त किया गया है। उक्त निरस्तीकरण वादीगण को पूर्व सूचना दिये बिना किया या नही किया है, वादीगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया या नही दिया गया तथा इन सब का ऐसे आदेश पर क्या प्रभाव होगा ?इन सब के बारे में विचारण एवं निर्णयन के लिए न्यायालय हाजा को कोई अधिकारिता प्राप्त नही है। क्योकि वादीगण द्वारा खातेदारी अधिकारो की घोषणा का वाद प्रस्तुत किया है जबकि यह विवाद्यक आवंटित कृषि भूमि के आवंटन के निरस्तीकरण से संबंधित है। अतः यह विवाद्यक भली भांति साबित नही होने से वादीगण के विरूद्ध एवं प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

5. आया वादग्रस्त आराजी का आवंटन सन् 1991 को नामान्तरण संख्या 412 द्वारा निरस्त कर दिया गया। **जिम्मे प्रतिवादीगण**

यह विवाद्यक साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादीगण की है। विवाद्यक संख्या 1 के विवेचन एवं निर्णयन से स्पष्ट है कि ग्राम कोटड़िया की नामान्तरण पंजिका के नामान्तरण संख्या 412 के अंकन से स्पष्ट है कि आवंटन निरस्त होने के कारण नामान्तरण संख्या 412 दिनांक 07.06.1991 द्वारा वादीगण के पिता का नाम विलोपित कर सिवाय चक खाता सरकार दर्ज किया गया। अतः यह विवाद्यक उपलब्ध अभिलेख से साबित है लिहाजा इसे प्रतिवादीगण के पक्ष में एवं वादीगण के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

अतः उपर्युक्त विवाद्यकवार विवेचन एवं निर्णयन के आधार पर यह विनम्र अभिमत है कि वादीगण अपने वादपत्र को भली भांति साबित करनें में असफल रहें है। अतः वाद वादीगण खारिज/अस्वीकार किया जाना उचित एवं विधि सम्मत होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bish
Date: 2022.06.14 17:45:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादीगण अंतर्गत आदेश धारा–88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वादीगण के पक्ष में बखूबी साबित नही होनें एवं सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पर्चा डिक्री पृथक से जारी होकर शामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से एक कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

पदेन

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला–पाली

निर्णय आज दिनॉक 23/03/2022 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (जिला–पाली)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
जैतारण, जिला–पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:45:32 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी,
मुकाम :– जैतारण
बईजलास :– डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

–: वादीया :– बनाम –: प्रतिवादीगण :–

1. गोरधनराम पुत्र गोपाराम
2. प्रकाश पुत्र हीरालाल जाति माली निवासी– सेवरिया,तहसील–जैतारण, जिला– पाली राज0।

1. जिला कलक्टर, पाली।
2. तहसीलदार, जैतारण।
3. पटवारी, पटवार हल्का– कुड़की तहसील– जैतारण, जिला–पाली।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **मु0न0 :रा0वा0 स0: 51/2013**

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–........ व हाजरी श्री हरिओम पारिक, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्धई व तहसीलदार जैतारण प्रति. मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादीगण अंतर्गत आदेश धारा–88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वादीगण के पक्ष में बख़ूबी साबित नही होनें एवं सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से एक कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख **23/03/2022** को सर–ए–इजलास जारी किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (जिला–पाली)

मुद्दई	रूपये पैसे	मुद्धायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02-00	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	01-00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	02-00	महनताना वकील	/
महनताना वकील	–	खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	04-00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर		बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	/	मुत्फरिक	
मिजानः–	09-00	मिजानः–	

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकैन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishn
Date: 2022.06.14 17:45:32 IST
Reason: SelfAttested